



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126924

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 20210/2026**

चरण सिंह

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता: मुकेश कुमार पांडे

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 5**

**माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया।
2. आवेदक की ओर से यह जमानत याचिका थाना-दिबियापुर, ज़िला-औरैया के वाद/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 132/2026, धारा 303 (2) और 317 (2) बीएनएस के अंतर्गत, उसे जमानत पर छोड़ने के अनुरोध के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और वह 02.04.2026 से कारावास में है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि इसी अंतर्गत के सह-अभियुक्त, नामतः कृष्ण सिंह, लकी सिंह, हर्ष उर्फ चुन्नू और विशाल को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा क्रमशः 05.06.2026, 02.06.2026 और 04.06.2026 के आदेशों के माध्यम से आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 19698/2026, 19713/2026, 15817/2026 और 16258/2026 में पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- इन परिस्थितियों में, आवेदक समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का भी हकदार है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तों, नामतः कृष्ण सिंह, लकी सिंह, हर्ष उर्फ चुन्नु और विशाल को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।
  5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के प्रतिवादों पर विचार करने, प्रथम सूचना रिपोर्ट की दस्तावेज एवं अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस सुविचारित मत का हूँ कि आवेदक ने जमानत के लिए योग्य है। समानता के आधार पर जमानत याचिका **स्वीकार** किया जाता है।
  6. उक्त आपराधिक प्रकरण में शामिल आवेदक **चरण सिंह** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, व्यक्तिगत मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।
    - (i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
    - (ii) आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को, उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए, सीधे या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।
    - (iii) आवेदक को एक वचनपत्र दाखिल करना होगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन के प्रकरण में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।



(iv) आवेदक को प्रत्येक तय तिथि पर विचारण न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपास्थि रहना होगा। बिना युक्तियुक्त कारण के अनुपस्थित रहने पर, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 229-A (संबंधित धारा 269 बीएनएस) के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए द0प्र0सं0 की धारा 82 (तदनुरूपी बीएनएसएस की धारा 84) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 174-A (तदनुरूपी बीएनएस की धारा 209) के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक को (1) प्रकरण की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) द0प्र0सं0 की धारा 313 (तदनुरूपी धारा 351 बीएनएसएस) के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या युक्तियुक्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी त्रुटि को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय द्वारा जमानत खारिज करने का आधार होगा।

11 जून, 2026

अमित

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)